झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010

e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–03/2026

झारखण्ड इन्टरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2026

JILCCE-2026

(Regular Vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6641, दिनांक–29.11.2023, पत्रांक–1640, दिनांक–18.03.2023, पत्रांक–783, दिनांक–05.02.2024 पत्रांक–1225, दिनांक–19.02.2024, पत्रांक–3320, दिनांक–13.05.2024 तथा पत्रांक–402, दिनांक–24. 01.2025 द्वारा क्रमशः स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत **बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता**, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग अन्तर्गत **भेटनरी सहायक/चिकित्सा सहायक**, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत **स्वास्थ्य पर्यवेक्षक**, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत **कीट संग्रहकर्त्ता**, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड अंतर्गत मत्स्य निदेशालय अधीनस्थ ' **मात्स्यिकी तकनीकी सहायक**' एवं योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय राँची, के अधीन '**कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक**' के विभिन्न पदों की संसूचित नियमित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में **झारखण्ड इन्टरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2026** के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हत्ता अनुसार शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. **परीक्षा शुल्क**

परीक्षा शुल्क रू॰ 100/–(एक सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 50/– (पचास रूपये) है।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8559, दिनांक–23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में पूरी छूट अनुमान्य है।

झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. रिक्तियों का विवरण :– नियमित

<table>
<tr><th rowspan="3">क्र० सं०</th><th rowspan="3">पदनाम</th><th rowspan="3">आरक्षण कोटि</th><th rowspan="3">कुल</th><th colspan="6">पदों की संख्या</th></tr>
<tr><th colspan="6">कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण</th></tr>
<tr><th>महिला</th><th>खेलकूद कोटा</th><th>अंधापन और कम दृष्टि</th><th>बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता</th><th>चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी</th><th>स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1.</td><td rowspan="7">स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)</td><td>1.अनारक्षित</td><td>57</td><td>03</td><td rowspan="6">03</td><td rowspan="6">02</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>43 (01 पद आदिम जनजाति के लिए कर्णांकित)</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>16</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु–I)</td><td>08</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5.पिछड़ा वर्ग (अनु–II)</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>13</td><td>01</td></tr>
<tr><td>योग :–</td><td>137</td><td>07</td><td>03</td><td>02</td><td>01</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2.</td><td rowspan="7">कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)</td><td>1.अनारक्षित</td><td>12</td><td>01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">00</td><td rowspan="6">00</td><td rowspan="6">00</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>04</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>03</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>03</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>03</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>02</td><td>00</td></tr>
<tr><td>योग :–</td><td>27</td><td>01</td><td>01</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">3.</td><td rowspan="7">बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)</td><td>1.अनारक्षित</td><td>35</td><td>02</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">00</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">00</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>14</td><td>01</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>07</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु–I)</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग (अनु–II)</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>06</td><td>00</td></tr>
<tr><td>योग :–</td><td>62</td><td>03</td><td>01</td><td>01</td><td>00</td><td>01</td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4.</td><td rowspan="7">भेटनरी सहायक / चिकित्सा सहायक (नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग)</td><td>1.अनारक्षित</td><td>12</td><td>01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">00</td><td rowspan="6">00</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>07</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>03</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>02</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>01</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>02</td><td>00</td></tr>
<tr><td>योग :–</td><td>27</td><td>01</td><td>01</td><td>01</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td></tr>
</table>

5.	कीट संग्रहकर्त्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)	1.अनारक्षित	15	01	00	01	00	01	00
		2.अनुसूचित जनजाति	06	01					
		3.अनुसूचित जाति	03	00					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु–I)	03	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु–II)	02	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	00					
		योग :–	**32**	**02**	**00**	**01**	**00**	**01**	**00**
6.	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग)	1.अनारक्षित	17	01	01	01	01	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	10	01					
		3.अनुसूचित जाति	04	00					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु–I)	03	00					
		5.पिछड़ा वर्ग (अनु–II)	03	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	00					
		योग :–	**41**	**02**	**01**	**01**	**01**	**00**	**00**
कुल योग			**326**	**16**	**7**	**7**	**3**	**3**	**1**

- **कोटिवार/पदवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभागों के अनुरोध के आलोक में घट–बढ़ सकती है।**

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है।

4. (क) कंडिका– 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I– रू॰5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 2400	मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 – विज्ञान या I.Sc. परीक्षा उत्तीर्ण।
2	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 2000	मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/ 10+2 – (गणित सहित) परीक्षा उत्तीर्ण।
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I– रू॰ 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 1900	मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 – विज्ञान या I.Sc. परीक्षा उत्तीर्ण।
4	भेटनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰ 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 1900	किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट।
5	कीट संग्रहकर्त्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰ 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 1800	मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/ 10+2 - जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण।

6	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग)	वेतन बैंड पी॰बी॰ I – रू॰ 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू॰ 1800	मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट/ 10+2 - जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अनिवार्य योग्यता एवं अन्य अर्हताए नहीं धारित करते हैं तथा ऊपर उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ग) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा द्वारा **श्रेणी–'ग'** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/ तृतीय स्थान
2	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोटः– उपर्युक्त उल्लेखित संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 आयोग के वेबसाईट https://jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

5. उम्र सीमाः–

(क) उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :–

क्र० सं०	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा के गणना की संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा के गणना की संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)	01.08.2023	01.08.2023
2	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	01.08.2025	01.08.2025
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)	01.08.2023	01.08.2023
4	भेटनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग)	01.08.2023	01.08.2023
5	कीट संग्रहकर्त्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)	01.08.2024	01.08.2024
6	मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग)	01.08.2024	01.08.2024

(ख) **न्यूनतम उम्र सीमा** – 18 वर्ष

(ग) **अधिकतम उम्र सीमा**:–(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–03, दिनांक–02.01.2026 द्वारा यथा निर्धारित)

(i) अनारक्षित	–	35 वर्ष।
(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	–	35 वर्ष।
(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरूष)	–	37 वर्ष।
(iv) महिला [अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)]	–	38 वर्ष।
(v) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष।

(घ) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट– X)** में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ङ) **आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

(च) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण–पत्र की माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छ) ***उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''घ'' या ''च'' में कोई एक ही मान्य होगा।***

6. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगीः–

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःषक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट– XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उतरदायी होंगे।

7. पात्रताः–

I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, निःशक्तता कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी सक्षम स्तर से निर्गत वैध प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

8. आरक्षण :–

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

9. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IX पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

9.(II) <u>जाति प्रमाण पत्र</u>–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट– III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र

15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VI पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।

(च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड ,राँची के पत्रांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से

भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः–

(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I से परिशिष्ट– IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशः–

(i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

(क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।

(ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा– तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

11. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करनाः–

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएँ एवं Online Application for **JILCCE-2026** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।

ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।

iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग–ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें । आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है।

iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

12. **आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधनः–**

दिनांक–**20.07.2026** से दिनांक–**19.08.2026** के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई–मेल आई०डी० एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करते हुए आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) करना आवश्यक होगा। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

13. **आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ** :– ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:–

क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक–**20.07.2026 से दिनांक–19.08.2026** की मध्य रात्रि तक।

ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए **दिनांक–20.08.2026** की मध्य रात्रि तक।

ग) दिनांक–21.08.2026 से दिनांक–23.08.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रियाः–

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JILCCE-2026** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

15. पदों का विकल्प :–

एक से अधिक शैक्षणिक अर्हत्ता धारित करने वाले अभ्यर्थी केवल एक ही शैक्षणिक अर्हत्ता के आधार पर एक से अधिक पदों का विकल्प अधिमानता क्रम में दे सकते हैं तथा यह सुविधा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उपलब्ध होगी।

16. **परीक्षा का स्वरूप :–**आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा **(CBT) / OMR** पद्धति में ली जायेगी तथा एक विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। Normalisation का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

17. परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–

17.1 परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा
(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु परीक्षा में 50,000 (पचास हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा।

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

17.2 प्रारम्भिक परीक्षा – *सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित* बहुविकल्पीय उत्तर आधारित *प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।*

(क)	सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
(ख)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ग)	सामान्य गणित	–	10 प्रश्न
(घ)	सामान्य विज्ञान	–	10 प्रश्न
(ड़)	मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
	कुल	–	**120 प्रश्न**

17.3 प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम

पत्र– सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रुप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः– झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक /10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ड़) मानसिक क्षमता जाँच :– इसमे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

17.4 प्रारम्भिक परीक्षा अन्तर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान :– प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान निम्नवत् तालिका अनुसार होगी :–

क्र०सं०	आरक्षण कोटि	न्यूनतम प्राप्तांक
1.	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40 (चालीस) प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला	32 (बत्तीस) प्रतिशत
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	34 (चौंतीस) प्रतिशत
4.	पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2	36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
5.	आदिम जनजाति	30 (तीस) प्रतिशत

17.5 मुख्य परीक्षा :–

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जायेगी। तदुपरांत कुल रिक्ति के पंद्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में किसी कोटि (उदग्र एवं क्षैतिज) के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के पंद्रह गुणा से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भी चयनित किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

पत्र 1 – विषय : (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न — **हिन्दी एवं अंगेजी प्रत्येक में अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न रहेंगे।**

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

कुल – 120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत **न्यूनतम** अर्हतांक निर्धारित रहेगा। **न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल / अयोग्य माने जाएंगे।** प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र 2 – (क्षेत्रीय /जनजातीय भाषा ज्ञान)

हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दु / संथाली / बंगला / मुण्डारी(मुण्डा) / हो / खड़िया / कुड़ूख (उराँव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से किसी एक भाषा की

परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र 3 – इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होंगे एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी :–

सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	40 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
सामान्य गणित	–	10 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
कम्प्यूटर का ज्ञान	–	10 प्रश्न
कुल	–	*120 प्रश्न*

टिप्पणी –(1) पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक *30* प्रतिशत होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। पत्र–1 अर्हक (**Qualifying**) प्रकृति का होगा। पत्र–1 में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(2) पत्र–2 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान तथा पत्र–3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक *30* प्रतिशत होगा।

(3) पत्र–1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र–2 एवं पत्र–3 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

17.6 मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

पत्र–1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र–1 (अंग्रेजी भाषा ज्ञान)

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र–2 (क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा ज्ञान)

कुडूख

व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरूष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।

1. **साहित्य–गद्य साहित्य–**

   जतरा अप सेन्दरा – बिरसा भगत
   कुडुख़र गही नेग अरा धरम – जम्बुआ कुजूर
   अंजेला– इग्नेस कुजूर
   राय साहब बंदीराम उराँव – अहलाद तिकी।
   रूइदास कुडुख़ बेलस – ए॰ ग्रिगनाड
   टना भगतर – डॉ॰ फिलिप एक्का

पद्य साहित्य –

जड़ी पेल्लो – दवले कुजूर
जतरा – डब्लयू जी0 आर्चर
खेड्ड चम्बी –डॉ0 निर्मल मिंज
रासी सुकखे गही –दवले कुजूर
अलखा अमके – जस्टिन एक्का
खद्द परिया – पदम् श्री जुवेल लकड़ा
कुडुख़ लोक साहित्य, लोक गीत, कहानी एवं निबंध

हिन्दी

पुस्तक – आरोह भाग–2

<u>काव्य खण्ड</u>

1. आत्म परिचय, दिन जल्दी–जल्दी ढलता है– हरिवंश राय बच्चन
2. पतंग – आलोक धन्वा
3. कविता के बहाने, बात सीधी थी पर – कुँवर नारायण
4. कैमरे में बंद अपाहिज– रघुवीर सहाय
5. सहर्ष स्वीकार है – गजानन माधव मुक्तिबोध
6. उषा – शमसेर बहादुर सिंह
7. बादल राग – निराला
8. कवितावली – तुलसीदास
9. रूबाइयाँ गजल – फिराक गोरखपुरी

10. छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख – उमाषंकर जोशी

गद्य खण्ड

11. भक्तिन – महादेवी वर्मा
12. बजार दर्शन – जैनेन्द्र कुमार
13. काले मेघा पानी दे – धर्मवीर भारती
14. पहलवान की ढ़ोलक – फणीश्वर नाथ रेणु
15. चार्ली–चैप्लिन यानी हम सब – विष्णु खरे
16. नमक – रजिया सज्जाद जहीर
17. शिरीष के फूल – हजारी प्रसाद द्विवेदी
18. धर्म विभाजन और जातिप्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज – भीमराव अम्बेडकर

पुस्तक–वितान भाग–2

1. सिल्वर वैडिंग – मनोहर श्याम जोशी
2. जूझ – आनन्द यादव
3. अतीत के दबे पाँव – ओम थानवी
4. डायरी के पन्ने – ऐन फ्रैंक

जनसंचार माध्यम

रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र टिप्पणी, समाचार, संपादकीय।

व्याकरण

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबन्ध लेखन, पत्रलेखन, विशेष लेखन।

English Language and Literature

1. Language

- Error Recognition
- Fill in the Blanks
- Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, voice, Preposition.
- Synonyms
- Antonyms
- Idioms & Phrases
- Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** The Inheritance of Loss – Kiran Desai; Death of a Salesman- Arthur Miller; Robinson Crusoe- Daniel Defoe; Sense and Sensibility- Jane Austen; He Who Rides a Tiger- Bhawani Bhattacharya.

- **Drama –** The Merchant of Venice- William Shakespeare; Arms and the Man- G.B. shaw; Tara- Mahesh Dattani; The Way of the World- William Congreve.
- **Poetry –** Sonnet 60- William Shakespeare; The Rainbow-William Wordsworth; Home Thoughts from Abroad- Robert Browning; Lead Kindly Light – Cardinal Newman; Preface to In Memoriam – Alfred Lord Tennyson; Where The Mind is Without Fear – Rabindranath Tagore; Essay on Man-Alexander pope; the Harp of India- H.L.V. Derozio
- **Short Stories** – The Necklace- Guy De Maupassant (Trans); an Astrologers Day- R.K. Narayan; The Home Coming- Rabindranath Tagore; A cup of Tea- Katherine Mansfield; Mrs. Adis-Sheila Kaya Smith; God Sees the Truth, But Waits-Leo Tolstoy.
- **Essay-** A Slip of The Tongue- J.E.B. Gray; God sees the Truth, But Waits- Leo Tolstoy; The English Gentleman- Mahatma Gandhi; The Bottle Imp- R.L. Stevenson; Opportunity for Youth- Jawaharlal Nehru; A Call To Youth- S. Radhakrishnan; on Travel by Train- J.B. Priestley.
- **History of the English Language:** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language – Joseph Willies.
- **Phonetics –** A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course In Phonetics- P. Ladefoged.

Urdu

1. Prose

I.	Haj-e-Akbar	-	Premchand (Story)
II.	Bhola	-	Rajinder Singh Bedi (Story)
III.	Chhauti ka Joda	-	Asmat Chugtai.

2. Urdu Poem

I.	Jugnoo	-	Iqbal
II.	Kaljug	-	Nazeer Akbarbadi
III.	Mustaqbil	-	Akbar Allahabadi
IV.	Khak-e-Hind	-	Pandit Brijnarayan Chakbast.

3. Urdu Grammar

I. Gender

II. Singular

III. Plural
IV. Meaning
V. Opposite.

कुरमाली

1. व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, पहेली (बुझौवल)
2. कुरमाली लोक साहित्य : लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व।
3. लोकगीत : डाँइंडधरा गीत (पांतागीत), करमगीत, बिहारगीत, डमकच, ढपगीत।
4. कहानी : सबरनाखा नदीक जन्म, सात भाई एक बहिन, करमा–धरमा, पुइतू बूढ़ा।
5. निबंध : शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार, टुसू परब।
6. साहित्यकार : डॉ0 नन्द किशोर सिंह, लखीकान्त मुतरूवार, केशव चन्द्र टिडुआर।

हो

1. **हो व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पुरूष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, पहेली आदि।
2. **साहित्य** :–
   I. पद्य संग्रह
   II. गद्य संग्रह

I. **पद्य साहित्य** :– लिटा मसुरि बिर विरड़, मा अरदास, बा अटेडाकन दिसुम बनो, जुलोः चा, एना दो ओकोन दिसुम तोरं।

II. **गद्य साहित्य** :– बहरोत, गिंदरू देयोआं, मुनु दोस्तुर अर मागे पोरोव, बा पोरोव एंगा हयम ममरं, कक्हारम्बड, नुड़हाम, सिंग दिसुम।

खोरठा

1. **गद्य भाग**
2. **पद्य भाग**

सहायक पुस्तक–खोरठा गद्य–पद्य संग्रह

(क) प्रकाशक–खोरठा साहित्यः साहितद्ध संस्कृति परिषद् बोकारो

(ख) खोरठा निबन्ध–लेखक– डॉ0 बी0एन0 ओहदार

(ग) डाह नाटक – सुकुमार

(घ) फरीछ डहर (कहानी संकलन) – लेखक– पंचम महतो

पद्य साहित्य :–

सहायक पुस्तकें :–

(क) एक पथिया डोगल महुआ– लेखक– सन्तोष महतो

(ख) सोंध माटी – डॉ0 विनोद कुमार

कविता भाग

(ग) डिडांक डोआनी– लेखक– वंशी लाल वंशी

(घ) तातल और हेमाल– लेखक– शिवनाथ प्रमाणिक

कविता संग्रह

3. खोरठा व्याकरण – लेखक– ए0के0 झा
4. निबंध– समसामयिक विषय पर

खड़िया

1. **व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव–निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, बुझावल आदि।
2. **साहित्य** :–

   (क) खड़िया लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास, अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, खड़िया जाति।

   (ख) लोकगीत – जाड.कोर, करम, बन्दोई, जनम पर'ब, कदलेटा, मुरड', कसासिड.।

   (ग) **लोक कहानी** – कथा कभनेइत

   (घ) **निबंध** – शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड. कोर, करम, जनम पर'ब।
3. **साहित्यकार**– 1. प्यारा केरकेट्टा 2. पौलुस कुल्लू 3. जुलियुस बा' 4. डॉ0 रोज केरकेट्टा 5. जोवाकिम डुँगडुँग

पंच परगनिया

1. पंचपरगनिया व्याकरण :– संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरूष, जीव–निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल आदि।
2. साहित्य–पंचपरगनिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास।
3. लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत – पुसगीत, बिहा गीत, सँहरइ गीत, करम गीत, मंत्र आदि।
4. लोक कहानी– पँठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाइ, सिआर केर फेउ बुढ़ा मुड़ेना लगाबे, भादा, बुधुवा आदि।
5. निबंध– गोड़डीह केर वन अंचल, मुण्डाओं का गाँव धरमपुर, गीत–गोविन्द आर बइउकि, आदि।
6. शिष्ट गीत/कविता–चंचलमन, उदवेग, रोक, दुख आदि।
7. साहित्यकार–ज्योति लाल माहादानी, दीन बन्धु महतो, चन्द्र मोहन महतो, परमानन्द महतो, करमचन्द्र अहीर।

संताली

1. **व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव–निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोवोल
2. **साहित्य** :–

संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, संतालों का उद्भव और विकास।

लोकगीत – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम, दोड. सेरेञ

कहानी– आगिल हापड़ाम कोवाः काथा, सोहराय, कविता, सोपोदान

निबंध– सिदोकन्हू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल डिबा किसुन, बिरसा हुल

साहित्यकार– डोमन साहु समीर, भागवत मुरमू ठाकुर, दिगम्बर हाँसदाः, ठाकुर मुरमू ठाकुर, बाबूलाल मुरमू, केवलराम सोरेन, आदित्य मित संताली आदि।

उड़िया

1. **गद्य विभाग** :–

I.	स्वाधीन चिन्ता	– विश्वनाथ कर
II.	ओड़िया जाति किए	– गोपबन्धु दास
III.	क्षमा	– मायाधर मानसिंह
IV.	जातीय जीवन ओ संस्कृति	– गोलक बिहारी धल

V.	लेखकर संसार	–	किशोरी चरण दास
VI.	मधुसूदन	–	चन्द्रशेखर रथ

सहायक पुस्तक : गद्य धारा (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

2. पद्य विभाग :–

I.	एणु कपोत गुरू मोर	–	जगन्नाथ दास
II.	मो जीवन पछे नर्के पडि थाउ़	–	भीम भोइ
III.	मुँ हाट बाहुड़ा	–	फकीर मोहन सेनापति
IV.	उठ कंकाल	–	गोदावरीश मिश्र
V.	ग्रामपथ	–	बिनोद चन्द्र नायक
VI.	शरत ऋतुर जन्ह	–	गुरू प्रसाद महान्ती

सहायक पुस्तक :– पद्य धारा (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

3. नाटक :–

I.	बक्सी जगबन्धु	–	मनोरंजन दास
II.	अभियान	–	कालीचरण पट्टनायक

4. काव्य :–

I.	पल्लिश्री	–	सच्चि राउतराय
II.	चिलिका	–	राधा नाथ राय

5. व्याकरण :–

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरूष, कारक, विभक्ति, अव्यव, क्रिया, संधि, समास, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकपदी करण, साधारण अशुद्धि।

संस्कृत भाषा

ये प्रश्न इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखण्ड राज्य में इण्टर स्तर पर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक ऋतिका (भाग–1 एवं भाग–2) के सभी पाठों के विषय तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न इसमें मुख्य रूप से शामिल किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त शब्द रूप तथा धातु रूप इनमें शामिल होंगे–

शब्द रूप

बालक, फल, रमा, पति, मति, वारि, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधू, पितृ, मातृ, कर्तृ, राजन्, गच्छन, भवत्, आत्मन्, विद्वस, यत्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

धातु रूप (लट, लोट, लृट, लङ्, तथा विधि लिङ्ग लकारों में)

पठ्, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश, अस्, भक्ष्, घ्रा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश, चर, कथ्, कृ, ज्ञा, शक्, तथा क्री।

अनुप्रयुक्त व्याकरण

कर्ता, क्रियापद चयन, समानार्थक, विलोमार्थक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेष्य, विशेषण, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा।

कारक, उपपद विभक्ति प्रयोग, वाच्य परिवर्तन (केवल लट् लकार में)

नागपुरी

1. **व्याकरण** :– वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द।
2. **साहित्य** :–

(क) नागपुरी लोक लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौवल, कहावत, मुहावरे।

(ख) लोकगीत में– फगुआ, डमकच, अंगनई, मरदानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुवा, झुमटा।

(ग) लोक कथा से – वन हरनी कर बेटा, बुधू भंडारी, भाई–बहिन, बालमइत रानी।

बनफूल भाग – एक– (नागपुरी गद्य–पद्य संग्रह)– डॉ0 कुमारी वांसती।

मुण्डारी

1. **व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव–निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल
2. **साहित्य** :– मुण्डारी लोक साहित्य– अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास।

लोकगीत :– बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि।

कहानी :– करम कहानी, पशु–पक्षी, जीव जन्तुओं की कथा, पहाड़ों की कथा, देवी देवताओं की कथा, कविता आदि।

निबन्ध :– बिरसा आन्दोलन उलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माडा परब, मुण्डाओं की उत्पति।

साहित्यकार :–

1. डॉ0 रामदयाल मुण्डा,
2. दुलय चन्द्र मुण्डा,

3. काण्डे मुण्डा

Bengali Language and Literature

(I) Prose, Poetry

(A) Jibansmriti- Rabindranath Thakur (Selected)

Shiksharambha, Ghar O Bahir, Bhritya rajak Tantra,

Kabita Rachanranbha, Shrikantha Babu, Pitri deb.

(B) Poetry (Selected) Madhukari- Kalidas Roy.

i. Atrimunir Ashrame Shree Ram Chandra- Krittibas.
ii. Ishwari Patani – Bharatchandra
iii. Bangabhasa – Madhusudan Dutta
iv. Nirjharer Swapnobhango – Rabindranath Thakur
v. Hat- Jatindra Nath Sen Gupta
vi. Kandari Hunshiar- Najrul Islam
vii. Atharo Bachhor – Sukanta Bhattacharjee

(C) Grammar :-

Samas, Sandhi, Bagdhara, Vinnarthak Shabdojngal.

(D) Essay – (One)

पत्र–3 (सामान्य ज्ञान)

(क) **सामान्य अध्ययनः–** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

(ख) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–**झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, किास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) **सामान्य गणित** :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक /10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **सामान्य विज्ञान** :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ड़) **मानसिक क्षमता जाँच** :– इसमे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्व अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(च) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान** :– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

18. <u>प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common Merit List) तैयार की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।</u>

19. **मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण** :

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका–18.4 के अधीन प्रश्न पत्र–2 एवं पत्र–3 में कुल प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और मेधा–सह–विकल्प (Merit-cum-Option) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदक द्वारा आवेदन में अंग्रेजी में लिखे गये नाम के अक्षरों से किया जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I)	अनारक्षित	–	40 (चालीस) प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	–	32 (बत्तीस) प्रतिशत
(III)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1)	–	34 (चौंतीस) प्रतिशत
(IV)	पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2	–	36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
(V)	आदिम जनजाति	–	30 (तीस) प्रतिशत
(VI)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)**	–	40 (चालीस) प्रतिशत

(v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–19 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीवारों के प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

22. अन्यान्यः–

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर **झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023** के प्रावधान प्रभावी होगें।

2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्त्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

   (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

   (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

   (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

      (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

      (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

      (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/ अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

   (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

   (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

   (iii) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करना, आवेदन में संशोधन के उपरांत परीक्षा शुल्क की अंतर राशि की भुगतान नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रूपये) शुल्क के साथ पुनर्गणना के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।**

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में

परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलैक्टोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में नाम/फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण–पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट–(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................   तिथि:–...........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर.......................... थाना .... जिला .... राज्य............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................. जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर............................., जिला.........................., राज्य.................में निवास करते हैं।

स्थान :–   सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
                  नाम ....

दिनांक :–   पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

———————

परिशिष्ट–(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–
14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री.................................. ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) पता–ग्राम/वार्ड/शहर. .... पो0.......................................थाना.................................... जिला/प्रमंडल.................................... ..राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन ....जाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को मानने वाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झाखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य होगा।

<u>टिप्पणी</u>

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा– 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट हैः–

   i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

   ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेन 1950 (अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान : ....

दिनांक :..................................   हस्ताक्षर ....

परिशिष्ट(**III**)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पिता .... ग्राम/नगर ....
जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ....
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 19 द्वारा यथासंशोधित
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परि सामान्य रूप से .... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं .... पिता ....
पति/पत्नी .... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर ....
.... पोस्ट .... थाना ....
अंचल .... जिला .... राज्य ....
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं ....
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था० (एस०सी०टी०)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या .... दिनांक .... में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला .... अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रूपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री.. /पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर................................... जिला/प्रमंडल.......................................राज्य/संघशासित प्रदेश .... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदो के लिए आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान : ....

दिनांक :.................................   हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ………………………….. Date ………………….

Valid for the Year ………………

This is certify that Shri/Smt./ Kumari …………………………………… son/daughter/wife of ………………………………….. permanent resident of ……………………………………. village/street …………………………….. post office ………………………… District …………………….. in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ………………………. His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ……………………………………………….. belongs to the ……………….. caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

Signature with seal of office …………..

Name ……………………………………

Designation …………………………….

---

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट–(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0.. ....थाना...................................... जिला....................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट–(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 5752 दिनांक– 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक–19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं॰ :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.......... .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0.. थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : ....

दिनांक :..................................

कार्यालय का मुहर   प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट–(X)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता   अनुबन्ध–1

प्रमाण पत्र संख्या.................................. तारीख...

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..आयु..लिंग.................................

पहचान चिन्ह...निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त–

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी॰एल॰) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी॰ए॰) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी॰एल॰ए॰) – दोनों टांगे और बाहें प्रभावित
(iv) एक टांग (ओ॰एल॰) – एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(v) एक बांह (ओ॰ए॰) एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(vi) पीठ और नितम्ब (बी॰एच॰)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन॰डब्ल्यू॰) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी॰– अंधापन
(ii) पी॰ बी॰– आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी॰– बधिर
(ii) पी॰ डी॰– आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.............................वर्षो......................................महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत...है।

4. श्री / श्रीमती / कुमारी...अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते / करती हैः–

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ii) पी॰ पी॰– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iv) के॰ सी॰– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(v) बी –झुक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vii)एस॰ टी॰– खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(viii)डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ix) एस॰ई॰– देख कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(x) एच – सुनने / बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(xi) आर॰ डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं

(डॉ0...)	(डॉ0..)	(डॉ0...)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट (**XI**)

संस्थान / अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या................................... तारीख...

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री..आयु...लिंग.................................. पहचान चिन्ह..स्थायी पता .... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी शारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरूद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट– प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विशेषज्ञ)